




Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक: हि.शि.बो.(39)/3/Vol-III- 6666 - 6700

दिनांक: 13.10.2021

अधिसूचना


अधिसूचित किया जाता है कि अधिसूचना संख्या क्रमांक: हि.शि.बो.(39)/3/Vol-III-5919-6000 दिनांक 29.09.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत 5+3+3+4 पद्धति अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 की सैकेण्डरी स्टेज की कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षाएँ Term-I व Term-II क्रमशः नवम्बर 2021 व अप्रैल 2022 में "हर घर पाठशाला" के आधार पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित करने व शेष विषय जिनका पाठ्यक्रम हर घर पाठशाला में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों की परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। उक्त परीक्षाएँ गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के अनुसार पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कटौती उपरांत शेष बचे 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम से Term-I व Term-II में 35:35 प्रतिशत के आधार पर आयोजित की जायेंगी।


(अक्षय सूद, हि0प्र0स0)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. निदेशक, (उच्चतर व प्रारम्भिक), शिक्षा निदेशालय, शिमला-1
3. राज्य परियोजना निदेशक, ISSE हि0प्र0 सरकार, शिमला-1
4. निजी सचिव (अध्यक्ष/सचिव), हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।
7. अनुभाग अधिकारी (सामान्य) शाखा को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को बोर्ड की आगामी बैठक में संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करें।
7. अनुभाग अधिकारी (IT Cell) को अधिसूचना को बोर्ड की बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. लोक संपर्क अधिकारी, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।


(अक्षय सूद, हि0प्र0स0)
सचिव